न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा(धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी – देवी सिहं (आर0ए0एस0)
मूल वाद सं– 04/22

1. रामदास पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हथवारी तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर
..........................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर
................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट नक्शा दुरूस्ती

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव

निर्णय

मूल वाद सं. 04/22 दिनांक :– 28/11/22

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट नक्शा दुरूस्ती पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ख.न. 3573 रकवा 0.4426 स्थित वाके ग्राम अनन्दापुरा, तहसील राजाखेड़ जिला धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है एवं अधिपत्यधारी है तथा काबिज होकर काश्त व फसल का फायदा उठाता आ रहा है। अप्रार्थी स. 1 एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पटवारी हल्का, गिरदावर ने प्रार्थी को सुनवाई क मौका दिये बिना मौके पर कब्जा परीक्षण किये बिना प्रार्थी की बैक पर राजस्व नक्शा ऑनलाईन करते समय त्रुटि कर दी है। जिस जगह वर्तमान में नक्शा ट्रेस में ख.न. 3570 दर्शित किया गया है उस जगह ख.न. 3573 होना चाहिए एवं ख.न. 3573 के स्थान पर 3570 दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में जिस जगह नक्शे में प्रार्थी का ख.न. 3573 दर्शित किया गया है वहाँ कभी भी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है। गैर कानूनी तरीके से नक्शा ऑनलाईन करते समय जो त्रुटि की गई है, उसे निरस्त कर पुनः कब्जे के मुताबिक एवं पुराने नक्शे के मुताबिकक दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। एक माह पूर्व जब प्रार्थी ने अपनी आराजी की पैमाईश कराने का प्रयास किया तब उसे सर्वप्रथम नक्शा में त्रुटि की जानकारी हुई। इससे पूर्व प्रार्थी को नक्शा में त्रुटि की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी करीब 15 दिन से अप्रार्थी स. 1 एवं पटवारी हल्का तथा गिरदावर के चक्कर नक्शा दुरूस्ती हेतु काट रहा है लेकिन आज तक नक्शे में दुरूस्ती नहीं की । अप्रार्थी स. 1 ने तथा पटवारी व गिरदावर ने नक्शा में दुरूस्ती करने से साफ इन्कार कर दिया तथा इजहार किया कि प्रार्थी जो चाहे करे वह नक्शा दुरूस्त नहीं करेंगे। उपरोक्त परिस्थितियों में विवादित आराजी के नक्शा ऑनलाईन करते समय जो त्रुटि हुई उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख.न. 3573 वाके ग्राम अनन्दापुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर के नक्शे को ऑनलाईन करते समय जो त्रुटि हुई है उसे कब्जे व मौके एवं पुराने नक्शे के आधार पर दुरूस्त करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स. 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1 न्यायालय में उपस्थित आये। तहसीलदार राजाखेडा से उक्त संबंध रिपोर्ट मांगी गयी। तहसीलदार राजाखेडा ने अपने पत्रांक एल.आर/22/3536 दिनांक 17.11.22 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार राजाखेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि ग्राम अनन्दापुरा में जमाबंदी सम्बत 2074–77 में रामदास पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हथवारी के ख.न. 3573 रकवा 0.4426 है. हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। तथा पूर्व नक्शा लठ्ठा ग्राम अनन्दापुरा में ख.न. 3573 व 3570 सही स्थान पर अंकित है। परन्तु सेग्रीगेशन के बाद वर्तमान नक्शाशीट में ख.न. 3570 के स्थान पर 3573 व 3573 के स्थान पर 3570 अंकित हो गया है, जो कि गलत है। अतः वर्तमान नक्शाशीट में ख.न. 3570 की आकृति में 3573 व 3573 की आकृति में 3570 नम्बर अंकित कर शुद्धि किया जाना उचित होगा।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार राजाखेडा का अवलोकन किया। हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश दिया जाता है कि स्थित ग्राम अनन्दापुरा तहसील राजाखेडा में ख.न. 3570 की आकृति में 3573 व ख.न. 3573 की आकृति में 3570 में शुद्धि किये के आदेश दिये जाते हैं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। पालना हेतु आदेश तहसीलदार राजाखेडा को जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होने पर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्डअधिकारी, राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा
जिला-धौलपुर (राज.)